संख्या-2/2022/495/002-85-1002-1-2022

प्रेषक,

अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
भूमित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2022

विषय:- केन्द्रपोषित वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (डब्ल्यू0डी0सी0-पी0एम0के0एस0वाई0)(के.60/रा.40) के अन्तर्गत में भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग के पत्र संख्या-161/एस0एल0एन0ए0/ 2022-23, दि0-14-07-2022 के सन्दर्भ में वित्त एवं लेखाधिकारी, एस0एल0एन0ए0 ने प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 में सामान्य अनुदान में रू0-1088.83लाख एवं अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना में रू0-1088.84लाख कुल रू0-2177.67लाख के अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-12 में रू0-1815.23लाख(के.-1088.84 एवं रा.-726.39लाख) कुल रू0-1815.23लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उक्त अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 में चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में रू0-1814.22लाख (के.-1088.83 एवं रा.-725.39लाख) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0(WDC-PMKSY) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-10895.00लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0-1088.83लाख एवं राज्यांश रू0-725.39लाख कुल धनराशि रू0-1814.22लाख(अठ्ठारह करोड चौदह लाख बाइस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त धनराशि को एस.एन.ए. के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि वित्त लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चिंत की जायेगी।

(2) प्रश्न्गत प्रस्तानव का परीक्षण बजट की उपलब्धिता के आधार पर किया गया है। प्रश्नवगत धनराशि की स्वी2कृति किसी प्रकार के व्याय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डकबुक के नियमों तथा अन्य स्थातयी आदेशों के अन्त र्गत राज्य सरकार/केन्द्रन सरकार अथवा अन्यै सक्षम प्राधिकारी की स्वीयकृति प्राप्तथ की जानी आवश्य क हो, उन मामलों में व्याय करने से पूर्व ऐसी स्वी ीकृति अवश्यर प्राप्ति कर ली जाए।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्य कतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यहय भारत सरकार की गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीशकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्योंज के प्राप्ते होने व उसके परीक्षण/सत्या ापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्वक सक्षम अधिकारी का होगा।

(6) स्वी ाकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यतय व स्वीगकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्तत किये जाने का दायित्वत सक्षम अधिकारी का होगा।

(7) स्वीपकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्या ज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्यारज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्वा सक्षम अधिकारी का होगा।

(8) स्वीवकृत की जा रही धनराशि से यथावश्ययकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यावस्थिओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यिय के संबंध में मितव्यसयता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीचय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) आहरण एवं वितरण अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) स्वीककृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्ता(आय-व्यनयक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याह-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0-07 जून, 2022 एवं अन्यक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यकवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 10,88,83,000 (रुपये दस करोड़ अट्ठासी लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007890107 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 के अन्तर्गत वाटर शेड डेवलपमेंट कम्पोनेंट (के.60/रा.40-के) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 7,25,39,000 (रुपये सात करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007898907 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -2.0 के अन्तर्गत वाटर शेड डेवलपमेंट कम्पोनेंट **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-32-X-2022-23-दिनांक:15-7-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनीता वर्मा सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या-2/2022/495/002-85-1002-1-2022, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक(WM), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक-25-02-2022 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय नियंत्रण के कार्यालय ज्ञाप संख्या-F-No1/(33)/PFMS/2022 दिनांक-07-07-2022 के सन्दर्भ में।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, एस0एल0एन0ए0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त् सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।